(५)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– श्री कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 34/2019
GCMS NO 2019/00023

राधेश्याम पुत्र बालदास जाति स्वामी साकिन बछरारा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री सुरेन्द्र सुथार
2. पैरोकार राज.

निर्णय दिनांकः 18.03.2024

उक्त अपील तहसीलदार सूरतगढ के आदेश संख्या 31.05.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न है।

1. तहसीलदार सूरतगढ का आदेश 31.05.2019 के खिलाफ रिकार्ड मिसल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध व एक तरफा तौर पर पारित होने से निरस्ती योग्य है। अपीलांट ग्राम बछरारा का मूल निवासी है। अपीलांट ग्राम बछरारा में पैमूदा भूखण्ड 40 गुणा 60 कुल 2400 वर्गफुट पर निवास कर रहा है। जिस पर जिओ कम्पनी के द्वारा जीओ टावर निर्माण हेतु प्रस्ताव रखा था जो अपीलांट द्वारा स्वीकार किये जाते है। जिओ टावर का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है सिर्फ टावर को चालू करना शेष रह गया था। मगर दौरान प्रक्रिया श्रवण कुमार पुत्र गोपीराम जाट की तथाकथित सतर्कता में शिकायत दर्ज करने पर उपखण्ड अधिकारी के क्रमांक 19/5031 दिनांक 28.03.2019 के संदर्भ में मातहत द्वारा आवादी भूमि में बन रहे जिओ टावर को रोही बछरारा के खसरा न0 428 गै.मु. जोहड पायतन की भूमि में मानते हुए टावर को कुर्क कर भू.अ.निरीक्षक देईदासपुरा को तहरीर में दिये जाने की आदेश दिये है जो निम्न कारणों से निरस्ती योग्य है। मौका पर जिओ टावर का निर्माण किया हुआ है वो आवादी भूमि में स्थित है। माननीय न्यायालय द्वारा मात्र अपने ही कयाशों पर बिना सही सीमाज्ञान करवाये तथाकथित तरीके से उक्त टावर को कुर्क करने के आदेश दिये है। जो निरस्त करने योग्य है। ग्राम बछरारा के ग्राम वासियों द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष टावर चालू करवाने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत पेश किया हुआ है। जिस पर ग्राम पंचायत उपसरपंच ग्राम पंचायत देईदासपुरा व कई वार्ड पंचों व ग्राम वासियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसकी मातहत अदालत द्वारा अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया है जो निरस्ती योग्य है। हल्का पटवारी व हल्का गिरदावर द्वारा मौका पर्चा दिनांक 14.02.2019 को भी बनाया है जिसमें उन्होने कतई टावर जोहडपायतन के रकबा में प्रदर्शित नहीं किया है।ग्राम वासियों द्वारा मोबाईल रेंज की समस्या के निस्तारण हेतु भी माननीय न्यायालय की तायद में मातहत न्यायालय में अदालत को टावर चालू करने हेतु भी प्रार्थना पत्र पेश कियाथा। अपीलांट को जैर अपील आदेश की जानकारी जब हल्कापटवारी व हल्का गिरदावर द्वारा दिनांक 14.02.2019 को मौका पर्चा बनाया जा रहा था तब जानकारी हुई है तब हल्का पटवारी व गिरदावर को यही कहा गया कि हम टावर की सही लोकेशन हेतु जांच कर रहे है इस पर कुछ दिन बाद दिनांक 11.06.2019 को उक्त प्रकरण का नकल हेतु आवेदन किया जो नकल तैयार होकर दिनांक [illegible] हुई तक ज्ञान हुआ कि जैर अपील आदेश पारित हुआ उससे पू[illegible] को उक्त आदेश की कतई जानकारी नहीं थी। अतः तहसीलदार सूरत[illegible]का [illegible] दिनांक 31.05.2019 को निरस्त फरमाया जावे।
2. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट [illegible] तलब किया [illegible] अधीनस्थ न्याया[illegible] कर शामिल पत्रावली [illegible]या। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सुथार उपस्थित हुए। रेस्पाडेंट 01 की ओर से पैरोकार राज व हाजिर आये। प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:51 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

(5)

3. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलाट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनाक 14.02.2019 को पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा मौका पर्चा बनाया जा रहा था तब जानकारी हुई तब हल्का पटवारी व गिरदावर को अपीलांट द्वारा जान बूझकर अपील देरी से पेश नहीं की गई है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नही किया तथा एकतरफा तौर पर जैर अपील आदेश पारित कर दिया। अतः प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

4. पैरोकार राज ने बहस में कथन किया कि अपीलांट को समुचित अवसर प्रदान किया गया था लेकिन बाद अवसर प्राप्त होने के बाद भी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं की गई थी अतः अपील खारिज योग्य है।

5. इन हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। तथा न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा गैर मुमकिन जोहड पायतन की भूमि पर अवैध टावर का निर्माण किया हुआ है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। तथा तहसीलदार सूरतगढ का निर्णय यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर आज दिनांक 18.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner